वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों को नियंत्रित कपड़े का आवटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और किसी खास राज्य को नियंत्रित कपड़े की कोई अतिरिक्त माला आवंटित करने की कोई प्रस्थापना नहीं है। विपणन निगमों को बढ़ाने और किसी खास समुदाय को उन्हें आवंटित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है; इस कारण बिहार के देहाती क्षेत्रों में हरिजन युवकों को किसी दुकान के आवटन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित नहीं किया जाता।

Reduction in Lending rates by Banks

502. SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank Governor recently ruled out reduction in lending rate by banks;

(b) if so, whether Government concurs with this views;

(c) whether Government have worked out the cost of borrowing to industries and its impact on the general costs and prices; and

(d) if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF STATE IN-CHARGE OF THE DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING (SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE): (a) and (b). Reserve Bank of India has indicated that no reduction in lending rates is considered necessary at present. Government are in agreement with the views expressed by the Reserve Bank of India.

(c) and (d). While determining the interest rate policy of the bank, the cost of borrowing to the industry is always taken into and prices. Further from a study conducted by the Reserve Bank it has been found that interest constitutes only about 3 per cent of the total cost of production of industries. The study relates to the year 1973-74.

हवाई अड्डा प्रवेश शुल्क

503. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हवाई अड्डे के अन्दर जाने के प्रवेश शुल्क को एक रुपये से बढ़ा कर दो रूपये कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि किन-किन स्थानों पर और कब से की गई है तथा इस वृद्धि का औचित्य क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 1-6-1976 से दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर विमानक्षेत्र प्रवेश शुल्क 1/- रु० से बढ़ा कर 2/- रुपये कर दिया गया। ऐसा इन विमान क्षेत्रों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में हुये काफी अधिक पूंजीगत व राजस्व व्यय को देखते हुये तथा वास्तविक यात्रियों और दर्शकों के लिए प्रदान किये गये स्थान के दुरुपयोग को निरुत्साहित करने के लिये किया गया है।